

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अधिकृत पिटरी, दुंगला-9413403527

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी
 मुकाम उपखण्ड अधिकारी
 श्री राधेश्वर बनाम
 नं. 41/2023
 सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिथिल्ला जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
7/23	प्राची की ओर से अधिलता श्री नरेन्द्र कुमार मेहता ने प्राचीना पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसकी बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षिता को जरिये सूचना पत्र लखल किया जावे। पत्रावली देखते तामील रिपोर्ट एवं जवाब में दिनांक 25/1/2023 को पेश वे। उपखण्ड अधिकारी दुंगला	
52/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची ने उपस्थित होकर प्राचीना पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) राजस्थान कारतकारी अधिनियम के तहत इस प्रकरण में अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। प्रकरण को नोट प्रेस किया गया। प्राचीना पत्र प्रकरण में कार्यवाही को इसी स्तर पर बन्द की जाती है। पत्रावली फेरल श्रुमार होकर नम्बर से कम वे। उपखण्ड अधिकारी दुंगला	Not press Om